17/6/25

आज पत्रावली पेश हुई, वकील वादिनी
अनुपस्थित, वादिनी भी उपस्थित नहीं
है। बार-बार आवाजें लगाई गई
उसके बावजूद भी वादिनी, वकील, एवं
वादिनी द्वारा इनमें कोई क्रिया होकर
कोर्ट की उपस्थित नहीं। अगली तक का
अवसर देय है। आवाजें लगाकर भी कोई
उपस्थित नहीं हुई। इसलिए वादिनी का
वाद अनुसार हाजिरी व अनुसार पेश नहीं है
एवं इस पत्रावली फैसला अनुसार
ही वाद खारिज किया जाता है। वाद वकील पक्ष
अपना खर्चा वहन करेंगे। फैसला आज ही डाल
लिखाया जाय। सुनी व्याख्यान से प्रकाशित
गया।

सहायक कलक्टर (फा०दे०)
मुण्डावर (अलवर)